राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 972/2019

डॉ. अनिल कुमार पालीवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थी

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.04.2019

आदेश की दिनांक : 20.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2014 जिसके द्वारा रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अपीलार्थी का आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति का परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि बंद लिफाफे को खोलकर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु परिणाम को घोषित किया जावे तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर एवं उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ आदि दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आरएएस में सीधी भर्ती द्वारा आरपीएससी के माध्यम से दिनांक 24.02.1994 को हुई थी और आदेश दिनांक 05.03.1997 को आरएएस जूनियर स्केल में अपीलार्थी को नियमित किया गया। तदुपरांत रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध आरएएस सीनियर स्केल के पद पर आदेश दिनांक 04.08.2003 के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 11.12.2009 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध अपीलार्थी को आरएएस सेलेक्शन स्केल में पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 14.04.2013 को 01.04.2013 के अनुसार आरएएस सेलेक्शन स्केल की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 90 पर अंकित किया गया और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.04.2014 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 26 पर अंकित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध उक्त पद के लिये डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति आदेश दिनांक 20.10.2014 जारी किया गया, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों को आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नति दी गई, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसकी पदोन्नति परिणाम को बंद लिफाफे में रखा गया। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 167/2011 धारा 7, 13, (1) (डी) रेड विद 13(2) एवं 120बी आईपीसी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज की गई, जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम नं. 2, जयपुर में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्ज फ्रेम कर आपराधिक मामला राजस्थान राज्य बनाम अनिल पालीवाल एवं अन्य दिनांक 16.05.2017 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो आज तक लंबित है। उनका कथन है कि आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित तिथि 20.10.2014 तक कोई चार्जेज (आरोप) फ्रेम नहीं किये गये हैं। डीपीसी आयोजित तिथि तक न तो कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी और न ही माननीय न्यायालय में कोई चार्ज फ्रेम अपीलार्थी के विरूद्ध किये गये। अपीलार्थी दिनांक 13.05.2011 को निलंबित किया गया और आदेश दिनांक 19.08.2015 के द्वारा अपीलार्थी को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा जाना नियमों एवं विधि

के अनुसार सही नहीं है और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 जिसमें पैरा संख्या 12 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल कर दिया जाता है तो वह पदोन्नति पाने का हकदार है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.08.2015 के द्वारा बहाल किया जा चुका है और इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति से नहीं रोका जा सकता। इसी प्रकार उक्त परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार सिंघवी, आईएएस एवं श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, आईएएस दोनों अधिकारियों को आईएएस सुपरटाईम स्केल में आदेश दिनांक 02.03.2018 एवं 23.02.2018 के द्वारा आपराधिक मामला लंबित होने के बावजूद उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के.वी.जानकी रमन, 1991 एससीसी 109 एवं हरीश कुमार वर्मा बनाम पंजाब राज्य, 2016(0) एआईजेईएल–एससी 597 में पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 जिसमें इस प्रकार के मामलो में पदोन्नति परिणाम को बंद लिफाफे में रखा जाना उचित नहीं माना है और इस प्रकार अपीलार्थी का परिणाम भी उक्त मामलों के आधार पर घोषित किया जाकर उसे पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिये। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आज दिनांक तक उसके आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति परिणाम को बंद लिफाफे में रखा गया है, जिसे आज दिनांक तक लिफाफा खोलकर घोषित नहीं किया गया है। चूंकि अपीलार्थी का आपराधिक मामला माननीय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय में लंबित है और अपीलार्थी को निलंबन से बहाल भी किया जा चुका है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से अपीलार्थी के संबंध में पदोन्नति परिणाम को घोषित नहीं कर पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, जो नियमों एवं विधि के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2014 जिसके द्वारा रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध अपीलार्थी का आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति का परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि बंद लिफाफे को खोलकर उक्त पद पर पदोन्नति हेतु परिणाम को घोषित किया जावे तथा अपीलार्थी को उक्त पद पर एवं उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ आदि दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि आरएएस सुपरटाईम स्केल वर्ष 2014–15 की डीपीसी आयोजित कर दिनांक 20.10.2014 को पदोन्नति आदेश जारी किया गया, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण संख्या 167/2011 लंबित होने के कारण डीपीसी की अभिशंषा सीलबंद लिफाफे में रखी गई। 4 वर्ष से अधिक निलंबित रहने पर रिव्यू कमेटी की अभिशंषा पर अपीलार्थी को दिनांक 19.08.2015 के द्वारा मात्र सेवा से बहाल किया गया है। आपराधिक प्रकरण अभी भी विचारण न्यायालय में लंबित है। इसलिये सील कवर नियमानुसार निरंतर रहेगा। अपीलार्थी के विरूद्ध निलंबन आदेश भी था और फौजदारी प्रकरण भी था, इसलिये नियमानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति की सिफारिश सील कवर में रखा जाना नियमानुसार सही है। अभियोजन की स्वीकृति दिनांक 11.07.2011 को जारी की गई और न्यायालय में चालान दिनांक 11.07.2011 को प्रस्तुत होकर फौजदारी प्रकरण लंबित हो गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पदोन्नति परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना सही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि डीपीसी दिनांक 14.10.2014 तक अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा अथवा विभाग द्वारा कोई चार्जशीट नहीं दी गई थी। डीपीसी द्वारा केवल अपीलार्थी के निलंबित रहते उसका पदोन्नति प्रकरण सील कवर में रखा गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) न्यायालय की आदेशिका की प्रति से यह स्पष्ट है कि डीपीसी बैठक दिनांक 20.10.2014 तक अपीलार्थी के विरूद्ध द्वारा न्यायालय आपराधिक प्रकरण के लिये कोई चार्जेज नहीं लगाये गये थे और न ही कोई चार्जशीट अपीलार्थी को दी गई थी। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के पैरा संख्या 12 में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन से बहाल होने पर अथवा आपराधिक प्रकरण से बरी होने पर सील कवर खोला जाये, जो अपीलार्थी के मामले में दिनांक 19.08.2015 को निलंबन से बहाली के पश्चात् सील कवर खोले जाने हेतु स्पष्ट तौर पर लागू हैं। उनका यह भी कथन है कि राज्य सरकार द्वारा श्री अजय सिंह आईपीएस, सत्यवीर सिंह आईपीएस, राजेश मीणा आईपीएस एवं अशोक सिंघवी आईएएस, नीरज के. पवन आईएएस, जी.एस.संधु आईएएस, चीफ इंजीनियर आर.के.मीणा आदि कई अधिकारियों के विरूद्ध पीसी एक्ट के प्रकरण विचाराधीन रहते हुये पदोन्नति दी गई है।

इस प्रकार के प्रकरणो में अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों के भारत सरकार के कार्मिक विभाग के ऑफिस मेमोरेण्डम संख्या 22011 दिनांक 14.09.1992 के प्रावधान लागू होते हैं। इसके बिंदु संख्या 5 में यह उल्लेख है कि अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण निलंबित रहते उनकी पदोन्नति की डीपीसी अभिशंषा को सील कवर में रखा जायेगा, परंतु यदि इन प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण में डीपीसी की बैठक के 2 वर्ष के भीतर निस्तारण नहीं होता है तो रिव्यू किया जाकर एडहॉक पदोन्नति दी जायेगी। राज्य में भी इस अनुसार पदोन्नति दी जाती है, इसके बावजूद केवल अपीलार्थी के प्रकरण में डीपीसी की बैठक तक चार्जशीट नहीं दिये जाने के बावजूद तथा परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में रिव्यू के प्रावधान होने के बावजूद कभी भी रिव्यू नहीं किया गया एवं पात्रता होने के बाद लगभग 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी पदोन्नति बंद लिफाफा नहीं खोला गया, जो परिपत्रों एवं सुस्थापित विधि के विपरीत है। राज्य सरकार द्वारा प्रार्थी के समकक्ष राज्य सेवा के कार्मिक श्री जयपाल सिंह विश्नोई पुलिस निरीक्षक को उनके विरूद्ध एसीबी प्रकरण संख्या 4/2013 के लंबित रहते आदेश दिनांक 18.06.2019 से श्री विश्नोई के प्रकरण में डीपीसी के सील कवर लिफाफा की अभिशंषा खोलकर इनको डीपीसी दिनांक 31.05.2012 से पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किये गये। राज्य सरकार के परिपत्र एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विधि के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय द्वारा डीपीसी दिनांक 20.10.2014 तक चार्जशीट जारी नहीं होने के आधार पर कार्मिक विभाग को अपीलार्थी की पदोन्नति का लिफाफा खोलकर पदोन्नति आदेश जारी करने के आदेश पारित किये जाने चाहिये। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अनिल कुमार सिविल अपील संख्या 2537/2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय के लार्जर बैंच में यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम के.वी.जानकी रमन को आधार मानकर यह स्पष्ट अभिधारित किया गया है कि यदि डीपीसी बैठक तक कार्मिक के विरूद्ध चार्जशीट तामील नहीं की जाती है तो पदोन्नति के संबंध में सील कवर प्रक्रिया नहीं अपनायी जानी चाहिये। अपीलार्थी के विरूद्ध केवल व्यक्तिगत रंजीश के आधार पर आधारहीन झूठा प्रकरण वर्ष 2011 में प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी को आज दिनांक तक किसी विभागीय कार्यवाही/न्यायिक प्रक्रिया में दोषी नहीं ठहराये जाने के बावजूद लगभग 10 वर्षों से अपीलार्थी को

लगातार दुर्भावनावश दण्डित किया जाता रहा है और पदोन्नति भी नहीं दी जा रही, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उल–जवाब का जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी के प्रकरण में आरएएस की सुपरटाईम स्केल वर्ष 2014–15 की डीपीसी की बैठक दिनांक 16.10.2014 को आयोजित की गई एवं आदेश दिनांक 20.10.2014 को जारी किये गये तत्समय अपीलार्थी दिनांक 11.05.2011 से कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 13.05.2011 से निलंबित था तथा आपराधिक प्रकरण के कारण नियमानुसार डीपीसी की अभिशंषा सीलबंद लिफाफा में रखी गई तथा 4 वर्ष से अधिक अवधि तक अपीलार्थी निलंबित रहने के उपरांत रिव्यू कमेटी की अभिशंषा पर आदेश दिनांक 19.08.2015 के द्वारा मात्र सेवा में बहाल किया गया और आपराधिक प्रकरण अभी भी माननीय न्यायालय में लम्बित है। श्री राजेश चौधरी, भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी है, जिन पर अखिल भारतीय सेवा के नियम लागू होते हैं। जबकि अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी है, इन पर राज्य सेवा के नियम लागू होते हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आरएएस में सीधी भर्ती द्वारा आरपीएससी के माध्यम से दिनांक 24.02.1994 को हुई थी और आदेश दिनांक 05.03.1997 को आरएएस जूनियर स्केल में अपीलार्थी को नियमित किया गया। तदुपरांत रिक्ति वर्ष 2003–04 के विरूद्ध आरएएस सीनियर स्केल के पद पर आदेश दिनांक 04.08.2003 के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया तथा आदेश दिनांक 11.12.2009 के द्वारा रिक्ति वर्ष 2009–10 के विरूद्ध अपीलार्थी को आरएएस सेलेक्शन स्केल में पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 14.04.2013 को 01.04.2013 के अनुसार आरएएस सेलेक्शन स्केल की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 90 पर अंकित किया गया और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 29.04.2014 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 26 पर अंकित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिक्ति वर्ष 2014–15 के

विरूद्ध उक्त पद के लिये डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति आदेश दिनांक 20.10.2014 जारी किया गया, जिसमें पात्र अभ्यर्थियों को आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर डीपीसी की अभिशंषा के आधार पर पदोन्नति दी गई, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसकी पदोन्नति परिणाम को बंद लिफाफे में रखा गया। अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 167/2011 धारा 7, 13, (1) (डी) रेड विद 13(2) एवं 120बी आईपीसी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज की गई, जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम नं. 2, जयपुर में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्ज फ्रेम कर आपराधिक मामला संख्या 81/2016 (59/2011) राजस्थान राज्य बनाम अनिल पालीवाल एवं अन्य दिनांक 16.05.2017 को दर्ज किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो आज तक लंबित है। आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित तिथि 20.10.2014 तक कोई चार्जेज (आरोप) फ्रेम नहीं किये गये हैं। डीपीसी आयोजित तिथि तक न तो कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी और न ही माननीय न्यायालय में कोई चार्ज फ्रेम अपीलार्थी के विरूद्ध किये गये। अपीलार्थी दिनांक 13.05.2011 को निलंबित किया गया और आदेश दिनांक 19.08.2015 के द्वारा अपीलार्थी को बहाल कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा जाना नियमों एवं विधि के अनुसार सही नहीं है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर पदोन्नति के संबंध में रखे गये बंद लिफाफे को नहीं खोले जाने का प्रश्न है, उक्त मामले के संबंध में मुख्य विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी के विरूद्ध एसीबी प्रकरण लंबित होने के आधार पर बंद लिफाफे को नहीं खोले जाने का प्रश्न है –

   अपीलार्थी के विरूद्ध एफआईआर संख्या 167/2011 धारा 7, 13, (1) (डी) रेड विद 13(2) एवं 120बी आईपीसी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज की गई, जिसमें विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम नं. 2, जयपुर में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्ज फ्रेम कर आपराधिक मामला संख्या 81/2016 (59/2011) राजस्थान राज्य बनाम अनिल पालीवाल एवं अन्य दिनांक 16.05.2017 को दर्ज किया गया,

जिसमें अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जो आज तक लंबित है। आज दिनांक तक अपीलार्थी के विरूद्ध रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध डीपीसी आयोजित तिथि 20.10.2014 तक कोई चार्जेज (आरोप) फ्रेम नहीं किये गये हैं। डीपीसी आयोजित तिथि तक न तो कोई विभागीय कार्यवाही लंबित थी और न ही माननीय न्यायालय में कोई चार्ज फ्रेम अपीलार्थी के विरूद्ध किये गये।

राज्य सरकार के कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिंदु संख्या 12.7 में उल्लेख किया गया है – *''विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजसेवक की पदोन्नति हेतु चयन की सिफारिश बन्द लिफाफे में इसलिये रखी जाती है कि उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा फौजदारी प्रकरण लम्बित है अथवा वह निलम्बित है। चयन की यह सिफारिश जो बन्द लिफाफे में रखी जाती है वह इस शर्त के साथ होती है कि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। इस प्रकार की स्थिति में जब यदि राजसेवक उसके विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक/फौजदारी प्रकरण में दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए, तो सम्बन्धित प्राधिकारी बन्द लिफाफा खोलकर राजसेवक को पदोन्नत करने की कार्यवाही नियमानुसार करे। इसके लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समक्ष प्रकरण पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।''*

उक्तानुसार स्पष्ट है कि यदि राजसेवक के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण में वह दोषमुक्त हो जाए अथवा निलम्बन से बहाल हो जाए तो पदोन्नत किया जाए। अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 19.08.2015 के द्वारा निलंबन से बहाल किया जा चुका है और वर्तमान समय में राज्य सरकार में अपनी सेवायें दे रहा है, परंतु विभाग द्वारा बंद लिफाफे को नहीं खोला जाना उचित प्रकट नहीं होता है।

2. तथ्यात्मक आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध माननीय एसीबी न्यायालय न्यायालय के समक्ष मामला ट्रायल पर होने के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग

द्वारा बंद लिफाफे को नहीं खोलने एवं उसे पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है –

ऐसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.वी. जानकी रमन एवं अन्य (1991) 4 एससीसी 109 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"(1) It is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. To deny promotion the disciplinary/criminal proceedings must be at the relevant time pending at the stage when charge-memo/charge-sheet has already been issued to the employee.*
>
> *(16.) On the first question, viz as to when for the purposes of the sealed cover procedure the disciplinary/criminal proceedings can be said to have commenced, the Full Bench of the Tribunal has held that it is only when a charge-memo in a disciplinary proceedings or a charge-sheet in a criminal prosecution is issued to the employee that it can be said that the departmental proceedings/criminal prosecution is initiated against the employee. The sealed cover procedure is to be resorted to only after the charge-memo/charge-sheet is issued. The pendency of preliminary investigation prior to that stage will not be sufficient to enable the authorities to adopt the sealed cover procedure. We are in agreement with the Tribunal on this point. The contention advanced by the learned counsel for the appellant-authorities that when there are serious allegations and it takes time to collect necessary evidence to prepare and issue charge-memo/charge-sheet, it would not be in the interest of the purity of administration to reward the employee with a promotion, increment etc. does not impress us. The acceptance of this contention would result in injustice to the employees in many cases. As has been the experience so far, the preliminary investigations take an inordinately long time and particulary when they are initiated at the instance of the interested persons, they are kept pending deliberately. Many times they never result in the issue of any charge-memo/charge-sheet. If the allegations are serious and the*

authorities are keen in investigating them, ordinarily it should not take much time to collect the relevant evidence and finalise the charges. What is further, if the charges are that serious, the authorities have the power to suspend the employee under the relevant rules, and the suspension by itself permits a resort to the sealed cover procedure. The authorities thus are not without a remedy."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी S.B.Civil Writ Petition No. 18074/2018 Sandeep Kumar Barar V/s State of Rajasthan & Ors. वाले मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2022 को निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"Similar orders passed by the Department in the case of Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A. Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready reference :

"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selectdion Grade (Pay Band-4: Rs. 37400-67000; plus Grade Pay Rs. 8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 8900) and Grade of the Inspector General of Police (Pay Band: Rs. 37400-67000 plus Grade Pay Rs. 10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed.

For the reasons discussed above, the writ petition succeeds and is hereby allowed. The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation of the screening meeting qua the petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be accorded promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceedings pending against him. The required orders be

passed within a period of one month from the date of receipt of the copy of the present order."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Civil Writ Petition No. 17238/2015 Kailash Chand Bohra V/s State of Rajasthan वाले मामले में भी दिनांक 16.05.2017 को आदेश पारित किया, जिसमें भी निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"Undeniably, petitioner's case was considered for promotion by the DPC, but the result has been kept in sealed cover as has been informed by the counsel for the State-respondents. The sealed cover has not been opened only owing to pendency of the criminal proceedings against the petitioner. It is also not denied that identically situated employee namely Shri Hanuman Ram Bishnoi, who is a co-accused along with the petitioner, in the same crime pending trial before the jurisdictional Court, has been accorded promotion. No reasons have been put forth for not according same treatment to the petitioner.

Learned counsel for the State-respondents neither in response to the writ application nor to the additional affidavit, detailed any reason as to why a differential treatment has been accorded in the matter of petitioner. Similarly placed persons, have been accorded benefit of promotion subject to outcome of criminal proceedings against them. There is no reason why the petitioner cannot be allowed similar treatment.

For the reasons and discussion aforesaid, the writ application succeeds and is hereby allowed. Respondents are directed to open the sealed cover and proceeded accordingly.

In case, the petitioner has been recommended for promotion, he would be accorded all consequential benefits on notional basis, subject to outcome of criminal proceedings pending against him."

इसी प्रकार "Shri Dinesh M.N., IPS and Shri A.Ponnuchamy, IPS are also reproduced for ready referrence :-

"Shri Dinesh M.N., IPS (RJ:1995), Managing Director, RAJSICO is hereby promoted in the Selection Grade (Pay Band-4: Rs.37400-67000;plus Grade Pay Rs.8700). Grade of the Deputy Inspector General of Police (Pay Band: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.8900) and Grade of the Inspector General of

Police (Pay Band: Rs.37400-67000 plus Grade Pay Rs.10000) of Indian Police Service with effect from 09.05.2014. The said scales/grades are granted subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

"Shri A. Ponnuchamy, IPS (RJ:1991) is hereby promoted in the Grade of Additional Director General of Police (HAG Rs. 67000-79000) of Indian Police Service with effect from 27.10.2016 i.e. date of reinstatement in service subject to the outcome of all pending criminal proceedings against him."

In view of the above mentioned orders, it is clear that it has been a regular practice of the Department to promote the police officials subject to the decision of the criminal proceedings pending against them. Therefore, on the sole ground of discrimination, the present writ petition of the petitioner deserves to be allowed."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5880/2019 Mukesh Modepatel versus State of Rajasthan & Others में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 जिसमें उपरोक्त आदेशों के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित किया है :–

"In view of the ratio as laid down in the above mentioned judgment and in view of the above observations, the present writ petition deserves to be and is hereby allowed.

The respondents are directed to open the sealed cover pertaining to the recommendation for the promotion of the present petitioner. If the petitioner has been recommended for promotion, he be granted promotion which shall be subject to the outcome of the criminal proceeding pending against him. The required order be passed within a period of two months from the date of receipt of the present order."

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र–आदेश दिनांक 26.11.1993 जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही/माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में कार्मिक की पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं :–

"These instructions have been reviewed carefully in the light of Supreme Court judgement dated 27.8.91 in Union of India etc. V/s K.V.Jankiraman etc. (A.I.R. 1991 SC/2010). As a result of review and in supersession of this department circular order noted above, the

procedure to be followed in this regard by the authorities concerned is laid down in the following paras for their guidance.... :-

SIX MONTHLY REVIEW OF 'SEALED COVER' CASES :-

It is necessary to ensure that the disciplinary case/criminal prosecution instituted against any Government servant is not unduly prolenged and all efforts to finalise expeditiously the proceedings should be taken so that the need for keeping the case of a Government servant in a sealed cover is limited to the barest minimun. It has, therefore, been decided that the appointing authorities concerned should review comprehensively the cases of Government servants, whose suitability for promotion to a higher grade has been kept in a sealed cover on the expiry of 6 months from the date of convening the first Departmental Promotion committee which had adjudged his suitability and kept its findings in the sealed cover. Such a review should be done subsequently also every six months. The review should, inter alia, cover the progress made in the disciplinary proceedings/criminal prosecution and the further measures to be taken to expedite their completion.

PROCEDURE FOR ADHOC PROMOTION :-

In spite of the six monthly review referred in para 4 above, there may be some cases, where the disciplinary case/criminal prosecution against the Government servant is not concluded even after the expiry of two years from the date of the meeting of the first DPC, which kept its findings in respect of the Government servant in a sealed cover. In such a situation the appointing authority may review the case of the Government servant, provided he is not under suspension to consider the desirability of giving him adhoc promotion keeping in view the following aspects....."

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के मामले में उक्त एसीबी प्रकरण दर्ज होने के उपरांत मामला माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर चार्ज फ्रेम इत्यादि हो चुके हैं और प्रकरण ट्रायल पर चल रहा है और अपीलार्थी को वर्तमान मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निलंबन से बहाल भी किया जा चुका है और इस प्रकार अब हमारे मत में अपीलार्थी के पदोन्नति के संबंध में डीपीसी अभिशंषा को बंद लिफाफे में रखा जाना उचित प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति के संबंध में बंद लिफाफे को खोला जाना एवं परिणाम घोषित किया जाना

उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 20.10.2014 जिसके द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति परिणाम बंद लिफाफे में रखा गया है, को अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आरएएस सुपरटाईम स्केल के पद पर रिक्ति वर्ष 2014–15 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु अपीलार्थी का परिणाम जो बंद लिफाफे में रखा गया है, उसे खोलकर परिणाम घोषित किया जावे और अपीलार्थी को आरएएस सुपरटाईम स्केल में नियमानुसार पदोन्नति प्रदान की जावे और उस तिथि से जिससे अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को उक्त पदोन्नति आदि का लाभ दिया गया है, उसी तिथि से अपीलार्थी को भी पदोन्नति आदि सहित समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी की उक्त पद पर पदोन्नति माननीय एसीबी न्यायालय में लंबित प्रकरण के निर्णयाधीन रहेगी। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से दो माह में सुनिश्चित की जावे।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष